पत्रांक :– 3/यो.01–16/2022 (उ0शि0) 221/ 2025

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से परामर्शित

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, रॉंची।

रॉंची, दिनांक 22/01/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य विश्वविद्यालय एवं इनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रत्यायन (NAAC Accreditation) एवं शोध कार्यों को बढ़वा देने के उद्देश्य से विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश– स्वीकृत ।

राज्य के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता एवं वर्तमान संसाधनों के आकलन हेतु सभी राज्य विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रत्यायन (NAAC Accreditation) सुनिश्चित करने तथा इसमें उच्च श्रेणी (Higher Grade) प्राप्त करने, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फेमवर्क (NIRF) में उच्च वरीयता प्राप्त करने हेतु संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना एवं शोध कार्यों में इच्छुक शिक्षकों को क्षमता संवर्द्धन के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने हेतु राशि का प्रावधान किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम बजट के अन्तर्गत उपशीर्ष–BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, लघुशीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता मद में 65.00 करोड़ (पैसठ करोड़ रूपये) मात्र एवं लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मद में 30.00 करोड़ (तीस करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल रू0 95.00 करोड़ का बजट उपबंध प्राप्त है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य विश्वविद्यालय एवं इनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों की नैक प्रत्यायन (NAAC Accreditation) एवं शोध कार्यों को बढ़वा देने के उद्देश्य से विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उपर्युक्त स्वीकृत राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2025–26 के राज्य स्कीम के निम्नांकित शीर्ष–"मुख्यशीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा, लघु शीर्ष–102–विश्वविद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष– BS- निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों को अनुदान, 01– निःशुल्क एवं दूरस्थ शिक्षा, कोचिंग सेन्टर, कार्यशाला, कन्सलटेंसी, द्वितीय पाली कक्षा नैक अनुसंधान, परिमार्जन केन्द्र एवं वित्त रहित संस्थानों हेतु सहायता अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06 अनुदान,79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड– 21S220203102BS010679) (स्कीम कोड–2107) के अंतर्गत होगा।

5. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक–21.09.2023 के आलोक में यह स्वीकृत्यादेश प्रदत्त शक्ति के अधीन है।

6. इस मद में विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व वर्ष में निकासी की गयी राशि की विवरणी–

स्वीकृत्यादेश संख्या एवं तिथि	निकासी की गई राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
125/बजट दिनांक 28.07.2022 (विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग)	1,00,00,000/–	1,00,00,000/– (8,80,694/– का व्यय एवं 91,19,306/– का रूपया राजकोष में प्रत्यार्पित)

7. वित विभाग के संकल्प ज्ञापांक 759 दिनांक 20.03.2015 के अनुसार राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से राशि की निकासी कर Book Transfer, बैंक ड्राफ्ट अथवा योजना–सह–वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रासंगिक आदेश में विहित माध्यम द्वारा विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव को राशि उपलब्ध करायेंगे एवं कुलसचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संचालित पी0 एल0 खाता संख्या–8448 में जमा करायेंगे।

9. विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के कुलसचिव द्वारा योजना–सह–वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम– 339–344 के तहत पी0 एल0 खाता संख्या–8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

10. राशि की विमुक्ति निम्न शर्त्तों के अधीन की जायेगी–

(क) विमुक्त राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(ख) सभी संबंधित विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन (NAAC Accreditation), राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में उच्च वरीयता प्राप्त करने हेतु संस्थानों के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना एवं शोध कार्यों के लिए सहायता अनुदान के रूप में व्यय किया जायेगा।

(ग) झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 343 का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

12. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि के अंकेक्षण का अधिकार होगा।

13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

15. स्वीकृत राशि की निकासी हेतु तैयार विपत्र पर निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

21.1.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 3/यो.01–16/2022 (उ0शि0) 221/9५८ /राँची, दिनांक– 22/01/2026

प्रतिलिपि –कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.1.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 3/यो.01–16/2022 (उ0शि0) 221/9५५ /राँची, दिनांक– 22/01/2026

प्रतिलिपि –विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/कुलसचिव, विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/ अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (उच्च शिक्षा)/लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित तथा नोडल पदाधिकारी को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21.1.26

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव।

(राम सुचित कुमार)	(सुधीर कुमार)	(सुधीर बाड़ा)
प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	निदेशक, उच्च शिक्षा